बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक–01 / निगम–09–09 / 2024 470

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

25.10.24

विषय– वित्तीय वर्ष 2026–27 में PM eBus सेवा योजना अंतर्गत Depot Infrastructure Development हेतु कुल रु० 333.33 रूपये /– (तीन सौ तैंतीस रूपया तैंतीस पैसा) मात्र की स्वीकृति एवं विमुक्ति के संबंध में।

आदेश– स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2026–27 में PM eBus सेवा योजना अंतर्गत Depot Infrastructure Development निर्माण हेतु केन्द्रीय प्रक्षेत्र स्कीम के अंतर्गत कुल रु० 333.33 रूपये /– (तीन सौ तैंतीस रूपया तैंतीस पैसा) मात्र की विमुक्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–445, दिनांक–20.11.2024 द्वारा Bus Depot Infrastructure हेतु आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के प्रथम किश्त की राशि 8.30 करोड़ रूपये से समानुपातिक राज्यांश की राशि 5.5333 करोड़ रूपये की विमुक्ति की गयी है।
3. उक्त निर्माण कार्य में तकनीकी कारणों से कार्य शुरू नहीं होने के कारण एवं SNA को SNA SPARSH Module लागू होने के कारण विमुक्त की गयी राशि 8.30 करोड़ रूपये भारत सरकार के (CFI Account) में एवं राशि 5.5333 करोड़ रूपये राज्य सरकार के खाता में नियमानुसार चालान के माध्यम से प्रत्यर्पित कर दी गयी है।
4. भारत सरकार एवं राज्य सरकार को उक्त प्रत्यर्पित राशि के उपरांत शेष राशि 333.33 रूपये का प्रत्यर्पण किया जाना है।
5. Depot Infrastructure Development **वित्तीय वर्ष 2026–27 में मांग संख्या– 47 के मुख्य शीर्ष 3055–सड़क परिवहन–00–190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता –201, इकाई 31–05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण** से निकासी कर Indian Bank, मुख्य शाखा, पटना में Scheme Code- 4228 के अंतर्गत Depot Infrastructure Development-PM-eBus Sewa के नाम से संचालित SN Account No- 7823899488, IFSC Code-IDIB000P611 में उक्त शेष राशि 333.33 रूपये जमा की जाएगी।
6. आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रांलय, भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृत्यादेश संख्या–शून्य, दिनांक–11.10.2024 में दिये गये दिशा निर्देश की कंडिका–03 से आच्छादित होगी।
7. वित्त विभाग, बिहार के पत्रांक–2561, दिनांक–17.04.1998 एवं पत्रांक–7134, दिनांक–30.08.2019 में एवं समय समय पर वित्त विभाग एवं विभागीय अनुदेश द्वारा इस संबंध में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार राशि की निकासी की जाएगी।
8. वित्त विभाग, बिहार के पत्रांक–7355 / बि0(2) दिनांक–05.10.2007 के आलोक मे राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
9. राशि का विचलन अन्य मद में नहीं किया जाएगा।

10. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
28/10/2026
सरकार के अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 470 पटना, दिनांक– 29-10-26

प्रतिलिपि– प्रधान महालेखाकार(लेखा परीक्षा), नई दिल्ली/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/10/2026
सरकार के अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 470 पटना, दिनांक– 29-10-26

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/10/2026
सरकार के अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 470 पटना, दिनांक– 29-10-26

प्रतिलिपि– अवर सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/The Pay & Account Officer(Sectt.) Ministry of Housing & Urban Affairs, निर्माण भवन, नई दिल्ली/श्री जोर्ज फ्रैंकलिन बखला, उप सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/लेखा–शाखा (दो प्रतियों में), परिवहन विभाग, बिहार, पटना/प्रशासक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/10/2026
सरकार के अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 470 पटना, दिनांक– 29-10-26

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/10/2026
सरकार के अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।